



प्रेस नोट

दिनांक 10.09.2024

## अभियुक्तगण के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई।

पुलिस अधीक्षक महोदया हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही/प्रभावी पैरवी के क्रम में मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा जनपद के थाना सुमेरपुर, कोतवाली नगर, मझगवां व थाना चिकासी से सम्बन्धित गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित/जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निष्कासित/जिलाबदर अपराधीगण अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

### जिलाबदर किये गये अपराधियों का विवरण:-

1. अभियुक्त- शिवराज पुत्र शिवकरन निवासी ग्राम मु0 मेरापुर कस्बा व थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर। दिनांक 31.08.2024 से 06 माह ।
2. अभियुक्त- शुभम द्विवेदी पुत्र अवध किशोर द्विवेदी निवासी मु0 लक्ष्मीबाई पार्क कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर। दिनांक 30.08.2024 से 06 माह।
3. अभियुक्त- हरेन्द्र सिंह उर्फ प्रमोद सिंह पुत्र बलदेव सिंह निवासी मुण्डेरा कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर। दिनांक 31.08.2024 से 06 माह।
4. अभियुक्त- मोहित पुत्रा स्व0 उमादत्त त्रिपाठी निवासी ग्राम बरेल थाना मझगवां जनपद हमीरपुर। दिनांक 30.08.2024 से 06 माह।
5. अभियुक्त- ओमेन्द्र पुत्र अशोक राजपूत निवासी ग्राम गिरवर थाना मझगवां जनपद हमीरपुर। दिनांक 31.08.2024 से 06 माह।
6. अभियुक्त मोहित राजपूत पुत्र अजय कुमार निवासी ग्राम ग्राम हरदुवा थाना चिकासी जनपद हमीरपुर। दिनांक 30.08.2024 से 06 माह।